बिहार सरकार
<u>गन्ना उद्योग विभाग</u>

पत्रांक–02 / रेगु०–02–7034 / 2025– 247/ई० का० / पटना, दिनांक– 02 जनवरी, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

श्री संजय कुमार,
वरीय तकनीकी निदेशक,
NIC, पटना।
ई–मेल : *sanjay.kumar@nic.in*

विषयः– **बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत केन केयर पोर्टल पर प्राप्त आवेदन की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत केन केयर पोर्टल पर प्राप्त आवेदन की प्रक्रिया में निम्न रूप से आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता है–

1. बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत केवल लाइसेंस प्राप्त आवेदक ही आवेदन कर सके।

2. आवेदकों के दस्तावेज की कमी संबंधित सूचना आवेदक के मोबाइल पर message के रूप में दी जाय।

3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक का चयन Randomization में नहीं हो पाता है तो अगले Randomization में उक्त सभी आवेदनों को शामिल किया जाय।

4. सभी ईख पदाधिकारी को उनके कार्यालय अन्तर्गत किये गये आवेदन की वर्तमान स्थिति की जानकारी उनके Login पर प्रदर्शित किया जाय।

5. Randomization से पूर्व सभी आवेदनों को verification और approval के लिए ईख पदाधिकारी के Login में भेजा जाय।

6. ईख पदाधिकारी जिन आवेदनों को approve करेंगे, उन्हीं आवेदनों का Randomization किया जाय।

7. आवेदनों की Pendancy की सूचना ईख पदाधिकारी के मोबाइल पर अथवा उनके Mail पर दी जाय।

अतः उपर्युक्त बिन्दुओं पर बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत केन केयर पोर्टल पर प्राप्त आवेदन की प्रक्रिया में संशोधन करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–7034 / 2025– 247/ई० का० / पटना, दिनांक– 02 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि–सभी ईख पदाधिकारी / विशेष ईख पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक, ईख विकास / सभी उप निदेशक, ईख विकास / सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–7034 / 2025– 247/ई०का० / पटना, दिनांक– 02 जनवरी, 2026
प्रतिलिपि–वरीय तकनीकी निदेशक, NIC, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–7034 / 2025– 247/ई०का० / पटना, दिनांक– 02 जनवरी, 2026
प्रतिलिपि–संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना / उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक, ईख विकास, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–7034 / 2025– 247/ई०का० / पटना, दिनांक– 02 जनवरी, 2026
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–7034 / 2025– 247/ई०का० / पटना, दिनांक– 02 जनवरी, 2026
प्रतिलिपिः–आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।